भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3520

(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

डेटा संबंधी दायित्व

3520. श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्रीमती भारती पारधीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के प्रारूप के अंतर्गत सहमति, डेटा के अंतर-मिश्रण पर प्रतिबंध और डेटा पोर्टेबिलिटी से संबंधित दायित्वों का आकलन किया है और प्रस्तावित डेटा संबंधी दायित्वों और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दायित्वों के बीच परस्पर संबंध का ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या प्रतिस्पर्धा कानून और डेटा संरक्षण ढांचे के मध्य इंटरफेस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच आयोजित परामर्शों से कोई समन्वय तंत्र, मार्गदर्शन या ढांचा सामने आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इनकी तारीखें क्या हैं; और
(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने का विचार है कि उद्यमों को दोनों ढांचों के अंतर्गत दोहरे या असंगत अनुपालन दायित्वों के अधीन न होना पड़े और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): जी, नहीं। वर्तमान में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधि समिति (सीडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) के प्रारूप के संबंध में "बिग टेक कंपनियों तथा मुख्य डिजिटल सेवाओं के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक सीमाएँ" विषय पर एक बाजार अध्ययन आरंभ कराया है। उक्त बाजार अध्ययन से साक्ष्य-आधारित आधार

उपलब्ध होने की अपेक्षा है, जिससे सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया जा सकेगा। डीसीबी के प्रारूप पर अंतिम निर्णय लेते समय हितधारकों के साथ परामर्श तथा अंतर-मंत्रालयी परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि विनियामकीय एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

(ग): डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 तथा प्रतिस्पर्धा विधि के साथ उसके अंतर्संबंध से संबंधित विषयों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के बीच विचार-विमर्श से उभरते हुए मुद्दों के समाधान तथा भारत के सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी एवं डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करने के लिए परामर्शात्मक विनियामकीय दृष्टिकोण अपनाने संबंधी पारस्परिक समझ विकसित हुई है।

(घ): वर्तमान में, कोई डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधि लागू नहीं है, अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।
